भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1147
दिनांक 25.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशी जेलों में कैद भारतीय नागरिक

1147. श्री वी. के. श्रीकंदनः
श्री कोडिकुन्नील सुरेशः
श्री तमिलसेल्वन थंगाः
डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:
क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) आज की तिथि तक, कई विदेशी जेलों में बंद और मृत्युदंड की सजा पाए भारतीय नागरिकों का देश-बार ब्यौरा क्या है;
(ख) ऐसे कैदियों की संख्या कितनी है जो विचारणाधीन हैं, दोषी ठहराए गए हैं या आरोपों का सामना कर रहे हैं।
(ग) उन भारतीय नागरिकों की संख्या क्या है जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक रिहा नहीं किये गये हैं या स्वदेश नहीं भेजे गए हैं, और देरी के क्या कारण हैं;
(घ) ऐसे व्यक्तियों की कानूनी सहायता, राजनयिक पहुँच और समय पर जेल से रिहाई या स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
(ङ) क्या भारतीय दूतावासों को इस संबंध में उचित कदम उठाने के लिए कहा गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या केंद्र सरकार को श्रीलंकाई जेल में बंद 29 मछुआरों को रिहा/वापस लाने के लिए तमिलनाडु सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किया जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क से ग) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान में विदेशी जेलों में विचाराधीन कैदियों सहित भारतीय कैदियों की संख्या 10574 है। देशवार सूची **अनुबंध 'क'** में दी गई है।

वर्तमान में विदेशी जेलों में बंद और मृत्युदंड की सजा पाए भारतीय नागरिकों का विवरण इस प्रकार है:

देश	**वर्तमान में ऐसे भारतीयों की संख्या जिन्हें मृत्युदंड दिया जाना है**
चीन	4
इंडोनेशिया	3
कुवैत	2

मलेशिया	1
ओमान	1
पाकिस्तान	1
कतर	1
सऊदी अरब	7
संयुक्त अरब अमीरात	21
यूएसए	1
यमन	1

तथापि अनेक देशों में प्रचलित सख्त निजता कानूनों के कारण, स्थानीय अधिकारी कैदियों से संबंधित जानकारी तब तक साझा नहीं करते हैं, जब तक कि संबंधित व्यक्ति की उस जानकारी के प्रकटीकरण के लिए सहमति न हो। यहाँ तक कि, जो देश जानकारी साझा करते हैं, वे भी सामान्यतः वहां कैद विदेशी नागरिकों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं करते हैं।

(घ एवं ङ) सरकार विदेशी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों सहित विदेशों में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और सलामती को उच्च प्राथमिकता देती है। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र सतर्क रहते हैं और स्थानीय कानूनों के उल्लंघन/कथित उल्लंघन के लिए अन्य देशों में भारतीय नागरिकों को जेल में डाले जाने की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखते हैं। जैसे ही किसी भारतीय नागरिक की हिरासत/गिरफ्तारी की सूचना, किसी भारतीय मिशन/केंद्र को मिलती है, वह तुरंत स्थानीय विदेश कार्यालय और अन्य संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क करता है ताकि हिरासत में लिए गए/गिरफ्तार भारतीय नागरिक की कोंसली पहुंच प्राप्त की जा सके, ताकि संबंधित मामले के तथ्यों का पता लगाया जा सके, उसकी भारतीय राष्ट्रीयता की पुष्टि की जा सके और उसकी सलामती सुनिश्चित की जा सके। मिशन/केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए सर्तक रहते हैं कि विदेशी जेलों में बंद भारतीय कैदियों के अधिकार सुरक्षित रहें।

विदेशी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों की रिहाई और स्वदेश वापसी का मुद्दा विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों द्वारा संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से उठाया जाता है। विदेश स्थित मिशन/केन्द्र जाँच और न्यायिक कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भी संपर्क में रहते हैं। सरकार अन्य देशों के साथ कोंसली और अन्य परामर्शों के दौरान भी इस मुद्दे पर कार्रवाई करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार विदेश स्थित अपने मिशनों/केन्द्रों और उच्च स्तरीय यात्राओं के माध्यम से विदेशों में भारतीय कैदियों की सजा में माफी/परिवर्तन के लिए भी प्रयास करती है। भारत ने अनेक देशों के साथ कैदी स्थानांतरण संधियाँ भी संपन्न की हैं, जो किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को जेल की सजा काटने के लिए उसके गृह देश में स्थानांतरित करने की अनुमति देती हैं।

विदेशों में कैद भारतीय नागरिकों को हर संभव कोंसली सहायता प्रदान करने के अलावा, भारतीय मिशन और केंद्र आवश्यकतानुसार कानूनी सहायता भी प्रदान करते हैं। जहाँ भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में हैं, वहाँ मिशन और केंद्र के पास वकीलों का एक स्थानीय पैनल भी होता है। संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा किसी भी भारतीय कैदी को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। भारतीय सामुदायिक कल्याण निधि (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और केंद्रों में संकटग्रस्त प्रवासी भारतीय नागरिकों की योग्य मामलों में माली हालात के आधार पर सहायता के लिए की गई है। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता में

भारतीय कैदियों को कानूनी सहायता के साथ-साथ स्वदेश वापसी के दौरान यात्रा दस्तावेज़/हवाई टिकट के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है।

(च) 15 जुलाई 2025 तक कुल 28 भारतीय मछुआरे श्रीलंका की हिरासत में हैं, जिनमें से 27 तमिलनाडु से और एक मछुआरा पुडुचेरी से है।

भारत सरकार भारतीय मछुआरों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी सहित इन मुद्दों को श्रीलंकाई सरकार के साथ द्विपक्षीय तंत्रों, राजनयिक माध्यमों और विभिन्न आधिकारिक संवादों के माध्यम से लगातार उठाती रही है, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा श्रीलंकाई राष्ट्रपति के साथ हाल ही में हुई बैठक (05 अप्रैल 2025) भी शामिल है। हमारी सभी वार्ताओं में, यह उल्लेख किया गया है कि इस मुद्दे पर विशुद्ध रूप से मानवीय और आजीविका के आधार पर विचार किया जाना चाहिए है।

मछुआरों से संबंधित सभी मुद्दों को द्विपक्षीय संस्थागत तंत्रों के माध्यम से भी निपटाया जाता है, जैसे कि मत्स्य पालन संबंधी संयुक्त कार्य समूह की नियमित बैठकें, जिसमें तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मत्स्य पालन संबंधी संयुक्त कार्य समूह की पिछली बैठक 29 अक्टूबर 2024 को हुई थी।

इसके अलावा, भारतीय कोंसली अधिकारी भारतीय मछुआरों की स्थिति जानने के लिए स्थानीय जेलों और हिरासत केंद्रों का नियमित दौरा करते रहते हैं तथा उनकी सलामती सुनिश्चित करने और उनकी शीघ्र रिहाई तथा स्वदेश वापसी में सहायता के लिए अपेक्षित समर्थन और आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान करते हैं।

अनुबंध क

क्र.सं.	देश	वर्तमान में विदेशी जेलों में विचाराधीन और दोषी करार दिए गए भारतीयों की कुल संख्या
1	अफ़ग़ानिस्तान	8
2	अंगोला	1
3	आर्मेनिया	61
4	ऑस्ट्रेलिया	28
5	अजरबैजान	5
6	बहरीन	261
7	बेलारूस	9
8	बेल्जियम	1
9	भूटान	71
10	ब्रूनेइ दारएस्सलाम	8
11	कंबोडिया	24
12	कनाडा	1
13	चिली	1
14	चीन	183
15	कांगो	8
16	कोटे डी आइवर	5
17	क्रोएशिया	10
18	क्यूबा	4
19	साइप्रस	21
20	डेनमार्क	2
21	मिस्र	1
22	इथियोपिया	7
23	फ्रांस	53
24	जॉर्जिया	24
25	जर्मनी	81
26	घाना	2

27	ग्रीस	24
28	हंगरी	4
29	इंडोनेशिया	25
30	ईरान	11
31	इराक	1
32	आयरलैंड	7
33	इटली	162
34	जमैका	1
35	जापान	4
36	जॉर्डन	27
37	कजाखस्तान	12
38	केन्या	4
39	कुवैत	342
40	किर्गिज़स्तान	4
41	लाओस	6
42	लेबनान	3
43	मेडागास्कर	4
44	मलावी	1
45	मलेशिया	380
46	मालदीव	10
47	माली	3
48	मॉरीशस	10
49	मोज़ाम्बिक	3
50	म्यांमार	17
51	नेपाल	1357
52	नाइजीरिया	5
53	ओमान	121
54	पाकिस्तान	246

55	फिलिपींस	59
56	पोलैंड	14
57	कतर	795
58	कोरियाई गणतन्त्र	4
59	रूस	37
60	रवांडा	2
61	सऊदी अरब	2379
62	सेनेगल	5
63	सर्बिया	2
64	सेशल्स	1
65	सिंगापुर	138
66	स्लोवेनिया	2
67	दक्षिण अफ्रीका	1
68	स्पेन	39
69	श्रीलंका	60
70	सूडान	1
71	स्विट्ज़रलैंड	3
72	तजाकिस्तान	1
73	तंजानिया	3
74	थाईलैंड	58
75	तुर्किये	4
76	संयुक्त अरब अमीरात	2773
77	युगांडा	11
78	यूनाइटेड किंगडम	323
79	यूएसए	175
80	उज़्बेकिस्तान	3
81	वियतनाम	6

82	यमन	1
		10574

*****